

3

69-1  
21.1.13

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

( CIVIL WRIT JURISDICTION )

C.W.J.C.NO. \_\_\_\_\_/of 2013.

Shakti Nath Jha..... Petitioner.

Versus

The State of Bihar and others..... Respondents.

Subject: Selection  
(Compassionate ground)  
Govt. service.  
Non-Gazette d.

I N D E X.

1. Writ application under Article 226  
of the Constitution of India..... 1- 13.
2. Annexure-1 series: Photo copies of  
circular dated 17.10.2008  
and letter no. 1971 dated  
13.8.2012..... 14-16
3. Annexure-2: Photo copy of letter  
dated 27.2.2012 of Dist.  
Programme Officer..... 17
4. Annexure-2/1: Photo copy of appoint-  
ment letter dt. 14.5.2012. 18
5. Annexure-3 series: True copies of  
representations dated  
15.1.2013..... 19-20
6. Annexure-4 series: Photo copies of  
representations dated  
16.1.2013 before Director  
Primary education and  
representation dt. 17.1.13  
before Principal Secretary  
Deptt. of Education, Bihar. 21-22
7. Annexure-5: Photo copy of decision of  
motihari Dist. Compassionate  
Committee contained in Memo  
no. 968 dated 18.11.2011.. 23-29
8. V a k a l a t n a m a.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

( CIVIL WRIT JURISDICTION )

C.W.J.C.NO. \_\_\_\_\_/of 2013.

Shakti Nath Jha..... Petitioner.

Versus

The State of Bihar and others.... Respondents.

S y n o p s i s .

By this writ application, petitioner prays for direction to concerned respondents to consider the case of petitioner for compassionate appointment in the light of circular dated 17.10.2008 and letter no. 1971 dated 13.8.2012 contained in Ann-1 series after reviewing/modifying the earlier recommendation for appointment on the post of Prakhand Teacher on fixed honorarium.

Father of petitioner was Asst. Teacher in Middle School Karama who died on 27.10.2008 during service tenure. The petitioner being B.A.(Hons) applied for appointment on compassionate ground along with required documents within time specified

District Programme Officer (Establishment ) Madhepura made recommendation for employment on compassionate ground and accordingly B. D. O. - cum- Executive Officer, Panchayat Samiti issued appointment letter on the post of Prakhand teacher on fixed honorarium and accordingly petitioner joined the post.

The petitioner made several representations before respondents authorities to make regular appointment on Govt. Class-III post in view of letter no.1971 dated 13.8.12 but all proved in vain.

(ii)

This Hon'ble High Court in batch of writ cases in ~~xxxxxxx~~ similar situation allowed writ application with direction to District Compassionate Committee to review earlier recommendation for appointment on compassionate ground to the post of Panchayat teacher/prakhand teacher/Nagar teacher as these posts are not within the administrative control of Government in the light of circular dated 17.10.2008 and District Compassionate Committee Motihari in compliance of said order modified/reviewed their earlier recommendation and passed order for appointment on Govt. class III & IV post as per qualification.

The case of the petitioner also stands on same and similar footing but concerned authority failed to consider the case of the petitioner. Hence this writ application.

Relevant dates of Event.

- 27.10.2008 : Father of the petitioner died in harness while working as Asst. Teacher, Middle School Karama.
- 13.11.2009 : Application for compassionate appointment was filed.
- 27.2.2012 : Dist. Programme Officer Madhepura recommended for compassionate appointment.
- 14.5.2012 : Appointment letter on the post of Prakhand teacher issued.
- 13.8.2012 : Considering Govt. Instruction dated 17.10.2008, Joint Secretary, Deptt. of Education issued letter to provide compassionate appointment on Govt. III & IV regular post.
- 15.1.2013 : Representations made by petitioner to consider his case .

III.

- 16.1.2013 : Representation made by petitioner before Director Primary Education to consider his case in the light of letter no. 1971 dt. 13.8.12.
- 17.1.2013 : Again representation made by the petitioner to provide regular appointment on Govt. class-III post in view of circular and letter no. 1971 dated 13.8.2012.

Hence this writ application.

---





The Hon' ble Ms. Justice Rekha.M. Doshit, the Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna and her Companion Justices of the said Hon' ble Court.

The humble petition on behalf  
of the petitioner abovenamed ;

Most Respectfully sheweth :-

1. That instant writ application is being filed for direction to the respondents concerned to consider the case of the petitioner for compassionate appointment in the light of circular dated 17.10.2008 issued by Department of personnel and Administrative Reforms ,Bihar Patna and also in view of letter no. 1971 dated 13.8.12 issued by Joint Secretary, Department of Education Bihar Patna after reviewing/modifying the earlier recommendation for appointment on the post of Panchayat teacher on fixed honorarium.

Photo copies of said circular  
dated 17.10.2008 and letter no.

1971 dated 13.8.12 is annexed

herewith marked Annexure-1 series

to this writ application.

2. That petitioner is a citizen of

India and resides well within the territorial

jurisdiction of this Hon'ble High Court.

3. That father of the petitioner

namely Lakhan Lal Jha was Assistant Teacher,

Middle School, Karama, Block Puraini in the

District of Madhepura in the pay scale of Rs.

5000-8000 who died on 27.10.2008 during service

tenure.

4. That petitioner whose qualifica-

tion is B.A.(Hons) submitted his application

with all required documents on 13.11.2009 for

appointment on compassionate ground before Dist.

Superintendent of Education, Madhepura.

5. That since petitioner is legal

heir of Govt. employee and as such resolution of

Personnel and Administrative Reforms Department



dated 17.10.2008 which says that appointment against post of Panchayat teacher on compassionate ground is not applicable as such post is not within the administrative control of Govt. shall fully apply in case of the petitioner.

6. That ignoring the said circular, District Programme Officer ( Establishment) Madhepura vide letter dated 27.2.12 sent recommendation before Block Education Officer, Puraini for employment on compassionate ground and in the light of said letter, Block Development Officer Puraini-cum- Executive Officer, Panchayat Samiti, Puraini issued appointment letter to the petitioner on the post of Panchayat teacher on fixed honorarium vide letter dated 14.5.2012.

Photo copy of letter dated 27.2.2012 of Dist. Programme Officer, Madhepura and letter dated 14.5.2012 issued by B.D.O.

are annexed herewith marked

Annexure-2 and 2/1 respectively

to this writ application.

7. That petitioner although in the light of appointment letter contained in Annexure-2/1 jointed the post and at present he is posted as Block teacher in Middle School Puraini on fixed honorarium of Rs. 6000/- but being dis-satisfied with the said post, the petitioner is making his grievance before the authority to consider regular appointment on class-III post in the light of letter no. 1971 dated 13.8.2012.

8. That petitioner made representation before District Programme Officer (Establishment) Madhepura and also before Regional Deputy Director of Education, Koshi Division, Saharsa dated 15.1.2013 making prayer to modify the earlier mode of appointment and to make regular appointment on class-3 pursuant to letter no. 1971 dt. 13.8.12.

True copies of said representations dated 15.1.2013 are annexed herewith marked Annexure-3 series to this application.

9. That petitioner also made representation dated 16.1.2013 stating full facts in details before Director ( Primary Education) Bihar Patna and representation dated 17.1.2013 before Principal Secretary, Department of Education Bihar Patna making prayer therein to make regular appointment on compassionate ground in the light of Joint Secretary Letter No. 1971 dated 13.8.2012 but all proved in vain.

Photo copies of representation dated 16.1.2013 before Director Primary education, Bihar Patna and representation dated 17.1.2013 before Principal Secretary, Deptt. of Education, Bihar Patna are annexed herewith marked Annexure-4 series to this writ application.

10. That circular dated 17.10.2008 and letter no. 1971 dated 13.8.2012 contained in Annexure-1 series to this writ application clearly depicts that recommendation for compassionate appointment against post of Panchayat teacher/ Prakhand Teacher/ Nagar Teacher should not be recommended as these posts are not within the administrative control of Government and as such petitioner should be provided regular appointment on class-III post as per his qualification after reviewing/modifying the earlier recommendation / appointment letter for the post of Prakhand teacher

11. That it will not be out of place to mention here that in similar circumstances various persons filed writ applications before this Hon'ble High Court praying for direction to respondents-District Compassionate Committee to consider their cases for compassionate appointment and to make recommendation in their favour in the light of circular dated 17.10.2008 issued by Department of Personnel and

Administrative Reforms directing all District Compassionate Committee s not to make recommendation for compassionate appointment against the post of Panchayat Teacher/ Prakhand Teacher/Nagar Teacher because these posts are not within the administrative control of Government and also for quashing recommendation made by Dist. Compassionate Committee whereby they have been recommended for compassionate appointment on the post of Block teachers./Panchayat teachers and Nagar Teachers.

This Hon'ble Court heard batch of cases and by order dated 3.2.2010 in C.W.J.C.14338/09 and other cases allowed all the batch of writ application with direction to District Compassionate Committee to review their earlier recommendation .The respective District Compassionate Committee in each case will make recommendation in favour of petitioners of those cases for their compassionate appointment on any Govt. Class-III & Class IV posts as per their qualification and eligibility

It is stated that in view of above back ground, the case of this writ petitioner also stands on same footing and compassionate appointment on the post of Block teacher needs to be modified/reviewed by making ~~xx~~ regular appointment on Govt. Class-III post.

( petitioner craves leave of this Hon'ble High Court to produce the copy of said judgment of this Hon'ble Court dated 03.02.2010 if required )

12. That statements made above are relates to district of Motihari and in the light of order/direction of Hon'ble High Court District Compassionate Committee, Motihari accordingly reviewed /modified its earlier recommendation and took decision to issue appointment letter as per qualification on Govt. Class III & IV posts.

Photo copy of said decision of  
District Compassionate Committee  
Motihari contained in Memo no.968

dated 18.11.2011 is annexed here  
with marked Annexure-5 to this  
writ application.

13. That under the aforesaid facts  
as stated above, the compassionate appointment  
of the petitioner on the post of Prakhand Teacher  
is violative of Govt. Instruction contained in  
Annexure-1 series and same is fit to be reviewed  
by providing regular appointment on Govt. Class-III  
post in favour of the petitioner.

14. That action of the respondents  
in not considering the case of the petitioner  
in the light of Annexure-1 series is malafide,  
arbitrary and violative of principle of natural  
justice.

15. That petitioner has got no  
other alternative, efficacious and expeditious  
remedy than to invoke the extra-ordinary writ  
jurisdiction of this Hon'ble High Court for  
redressal of his genuine grievance.

16. That the petitioner has not

moved this Hon'ble High Court earlier in the matter out of which this application arises.

It is, therefore, prayed that your Lordships may graciously be pleased to admit this writ application, issue rule NISI calling upon the respondents to show cause as to why the relief as prayed for in para-1 be not granted in favour of the petitioner, upon return of rule on hearing counsel for the parties and such cause if any shown by the respondents make the said rule absolute and thereby allow this writ application in terms of relief as sought for in para-1 of this writ application.

And/or

Pass such other order or orders as your Lordships may deem fit and proper.

And for this the petitioner shall ever pray.



A f f i d a v i t.

I, Shakti Nath Jha, aged about 28 years son of Late Lakhan Lal Jha, resident of village Karama P.O. Bhagipur, via Alamnagar, P.S. Puraini, District Madhepura do hereby solemnly affirm and state as follows:-

1. That I am petitioner in this case and as such am well acquainted with the facts and circumstances of the case.

2. That the contents of this petition have been read over and explained to me in Hindi and I have fully understood the same and I say that the statements made in para 6, 8, 9, 12 are true to my knowledge, those stated in para 2, 5, 7, 10, 11, 13, 15, 16 are true to my information and rest are by way of submissions to this Hon'ble Court.

3. That annexures are true/photo copies of their respective originals.

शक्तिनाथ झा

A-1500

Annex-1 (Cont)

14



पत्र संख्या-3/अनु-17/1000470...6.2.0.5/  
विद्यार्थक

कार्गिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including a date '20/11/08' and initials 'SA'.

सरकार के उप सचिव।

उपरी जिला पदाधिकारी,  
-राह- अहमदाबाद, जिला अनुकम्पा समिति।

पत्रांक-18, दिनांक/27 अक्टूबर, 2008

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में लक्ष्मण है कि कुछ जिला अनुकम्पा समितियों की बैठकों की कार्यवाहियों के अवलोकन से स्पष्ट हुआ है कि जिला अनुकम्पा समितियों द्वारा अनुकम्पा के आधार पर पंचायत शिक्षक/प्रखण्ड शिक्षक/नगर शिक्षक के पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु अनुशंसा की जाती है। पंचायत शिक्षक/प्रखण्ड शिक्षक/नगर शिक्षक के पद सरकार के अधीन के पद नहीं होते हैं और ऐसे पदों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए अनुशंसा करना, अनुकम्पा समितियों के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है।

अतः निर्देशानुसार कहना है कि पंचायत शिक्षक/प्रखण्ड शिक्षक/नगर शिक्षक आदि के पदों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए अनुशंसा नहीं किया जाना सुनिश्चित किया जाय। यदि ऐसे कोई अनुशंसा की गयी हो तो जिला अनुकम्पा समिति द्वारा उस पर पुनर्विचार कर इस विभाग द्वारा निर्दिष्ट परिणामों के अनुसार अनुशंसा किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वनाथजी,  
(सरयुषा प्रसाद)  
सरकार के उप सचिव।

आचार्य 949-2 (अनु-17)

दिनांक 24-11-08

पत्रिका संख्या: जिला शिक्षा उपाधी अहमदाबाद/जिला शिक्षा उपाधी अहमदाबाद/अहमदाबाद एवं जिला उपाधी अहमदाबाद/जिला शिक्षा उपाधी अहमदाबाद/अहमदाबाद की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित किया जाय।

Handwritten signatures and names at the bottom of the page, including 'अहमदाबाद' and 'अहमदाबाद'.

पत्रांक- 1971  
 बिहार सरकार  
 शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

15

संयुक्त सचिव,  
 शिक्षा विभाग,  
 बिहार पटना।

सभी जिला शिक्षा उप निदेशक,  
 सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी।

पटना, दिनांक 13 अगस्त 2012

विषय:- शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों एवं राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों में वर्ग-3 के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि याचिका संख्या-3919/1999 राम प्रकाश शर्मा बनाम राज्य सरकार में दिनांक-27.11.04 को पारित न्यायादेश तथा उसके उपरान्त अग्रमाननावाद एम0ज0सी0 संख्या-2571/2003 राम प्रकाश शर्मा बनाम राज्य सरकार के आदेशों में कानून एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक-11243 दिनांक-06.12.95 के प्रावधानों के अनुसंधान वर्ग-4 के कर्मियों से सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा वर्ग-3 के पदों के 50 प्रतिशत भरण संबंधी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये इस कार्यालय के पत्रांक-6107 दिनांक-04.09.08 पत्र 348 (विधि) दिनांक-20.09.10 द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों/राजकीय विद्यालयों में वर्ग-3 के रिक्त पदों को 50 प्रतिशत उच्च वर्ग-4 के कर्मियों से भरण हेतु कर्णांकित इ. के दिनांक 12.06.10 के आधार पर सीमित प्रतियोगिता से नहीं भरण का निदेश दिया गया था। इन पत्रांक-248 दिनांक-12.06.10 द्वारा कानून एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक-11243 दिनांक-06.12.95 के प्रावधानों का अनुसंधान वर्ग-4 से अब तक नहीं किये जाने तथा वर्ग-4 के कर्मियों से सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा भरण वाले पदों (वर्ग-3 की रिक्ति का 50 प्रतिशत पद) को सी सी सी नियुक्ति द्वारा भरण से भरण जाने के अलावा वर्ग-3 के कर्मियों से भरण वाले वर्ग-3 के कर्णांकित पदों के भरण हेतु वर्ग-3 के रिक्त पदों पर सीधे नियुक्ति नहीं करन का निदेश दिया गया था।

रिट याचिका संख्या-3919/1999 में पारित न्यायादेश के अलावा में राज्य के सभी राजकीयकृत उच्च विद्यालयों में वर्ष-1995 से वर्ग-3 के पदों पर हुई रिक्तियों को 50 प्रतिशत पद की गणना कराकर उसके विरुद्ध उपलब्ध शिक्षित का रोस्टर बसी पर भरण बिहार चयन आयोग को अध्याचना इस कार्यालय के पत्रांक-2213 दिनांक-24.04.10 द्वारा भरण गयी है।

A 2

पत्रांक 758 (10)

(17)

प्रेषक:-

Annex - 2

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्वाभाविक)  
मधेपुरा।

सेवा में:-

प्रखण्ड विभागा पदाधिकारी  
पुरैनी।

मधेपुरा, दिनांक: 27/02/12

विषय:-

अनुकम्पा के आधार पर निमोजन के संबंध में।

महोदय,

अरोक्त विषय के संबंध में कला है कि श्री काकिर  
नाम की 510- स्व. लखन लाल का अनुपूर्व बलमल विभाग  
मधेपुरा वि. वडागा, प्रखण्ड- पुरैनी का अपने पिता के दिनांक-  
27-10-2008 को सेवा काल में मृत्योपरान्त अनुकम्पा के  
आधार पर निमोजन हेतु आवेदन का एवं नतम संशय  
कागजात संबंधित क्षेत्र विभागा पर 0- से अनुकम्पा के अधिकार  
है कागजात को प्राप्त हुआ है, अतः अग्रेतर कार्यवाई  
हेतु आपसे पाय प्रेमी जा रही है।

विश्वनाथनाथ

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी  
मधेपुरा, मधेपुरा।

अनुकम्पा - पत्रांक

एक प्रतिपात्र  
नामपत्र B.P.P.  
28/2/12

A-211

Ann-2/1

18

कार्यालय प्रखंड विकास पदाधिकारी ,पुरैनी  
 -सह-  
 कार्यापालक पदाधिकारी  
 पंचायत समिति पुरैनी

संयुक्त सचिव बिहार पटना के पत्रांक 3354 दिनांक 09.09.2008 के आलोक में एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) मधेपुरा के पत्रांक दिनांक 758/नि0/दिनांक 27.02.12 द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नियोजन हेतु अनुसंधान के आधार पर प्रखंड शिक्षा नियोजन समिति पुरैनी के दिनांक 11.05.12 को आहुत बैठक के प्रस्ताव को पारित करने वाले निर्णयानुसार श्री शक्तिनाथ झा पिता स्व0 लखन जगत झा भूपुरी विधान सभा क्षेत्र पुरैनी जिला मधेपुरा को अप्रशिक्षित शिक्षक के वैशिक ग्रेड पर सहायक पुरैनी के विमानतल के साथ नियोजन किया जाता है। (1.) सभी प्रमाण पत्रों की जांच की जायेगी। सही होने पर नियत मानदेय का भुगतान होगा। (2.) श्री शक्तिनाथ झा के द्वारा किये गए भ्रमण भ्रमण सही तरीके से नहीं करने पर नियोजन पदाधिकारी द्वारा जेजा सजाव की जा सकेगी। (3.) 15 दिनों के अन्दर सम्बन्धित विचारार्थ में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। योगदान की प्रति प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पुरैनी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

६ —  
 प्रखंड विकास पदाधिकारी  
 -सह-  
 कार्यापालक पदाधिकारी  
 पंचायत समिति पुरैनी

523-2  
 ज्ञापक पुरैनी दिनांक 14 मई 2012  
 प्रतिलिपि सम्बन्धित प्रस्ताव को पारित कराना हेतु प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पुरैनी में सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14.5.12  
 प्रखंड विकास पदाधिकारी  
 -सह-  
 कार्यापालक पदाधिकारी  
 पंचायत समिति पुरैनी

A335005

सौता

Ann-3, Ser)

श्रीमान जिला कार्यक्रम जहाधिकारी  
(रक्षापना), सपौरपुरा

(19)

विषय :- अनुकम्पा के आधार पर वर्ग-3 के पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में।

प्रदर्शन :- संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग, विहार पटना के पत्रांक 1971 दिनांक  
13.08.12।

महोदय

उपर्युक्त विषयक एवं प्राथमिक तथ्य के आलोक में जाग्रह  
पूर्वक कर्त्ता हूँ कि प्राथमिक पत्र में विवेचित किया गया है कि  
विभाग के रिक्त पदों को 5% प्रोव्जिन्ट से जराअप तथा शेष पदों  
को शेषी नियुक्ति / अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु  
नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है। तथा माननीय सचिव  
आशा है कि आदेशानुसार कि आदेशों पर पुनः विचार कर मामले को  
पर्यवशील्य कार्यवाही करें।

उक्त पत्रांक  
15-1-13

अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्राथमिक

पत्र एवं माननीय सचिव आशापत्र के आदेशों पर विचार करके हुए अनुकम्पा  
के आधार पर वर्ग-3 के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया उपरोक्त हुए शेषी  
शेषी नियुक्ति करने ही मन्गी कृपा किया जाय। इसके लिए श्रीमान  
का सदा आभारी बना रहूँगा।

विष्णुनाथ

अधिकारी का

पिता - ल. लखन लाल का

पुत्र सराफ अक

म. वि. कडामा, अमनपुरी

पता - कडामा

पता - आशीपुर

पता - पुरी

जिला - सपौरपुरा

दिनांक - 15/01/13

अनुसूचक :-

1. प्राथमिक पत्र

(1) माननीय सचिव आशापत्र के

आदेश सं. SLP. 29/55/08/200।

सेता में

सीमा क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक

कोशी प्रान्त, सहरसा.

20

विषय :- अनुकम्पा के आगम पर वर्ग-3 के पढ़ाई पर नियुक्ति के सावधानी में।

पर्याप्त :- संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार के पत्रांक 1971 दिनांक 13.08.2012।

प्रस्ताव

उपरोक्त विषय एवं प्रासंगिक के आलोक में आग्रह पूर्वक कहना है कि प्रासंगिक पत्र में विद्यमान है कि शिक्षा विभाग के संवर्ग 3 एवं 4 के रिक्त पदों में वर्ग-3 के रिक्त पद का 15% पद को वर्ग-4 के कर्मियों को प्रोन्नत कर भरा जाय। एवं शेष शेष पदों (कुल 85% पद) को सीपी नियुक्ति/अनुकम्पा के आगम पर नियुक्ति हेतु नियमावली कार्रवाई की जा सकती है। उक्त आदेश के पत्रांक 6167 दिनांक 04.09.08 के तहत नियुक्ति की प्रक्रिया पर रोक लगाये हुए विद्यमान की प्रक्रिया को अग्रगण्य डायना सा। सराफिया पत्रांक 1971 दिनांक 13.08.2012 के अन्तर्गत शिक्षा विभाग के आदेश आने पर नियुक्ति को अग्रगण्य का निम्नान्त पर वर्ग-3 के पद पर नियुक्ति किया जायगा।

तबतः सीमा क्षेत्रीय विवेक है कि प्रासंगिक

तबतः पर कार्रवाई करने एवं विद्यमान प्रक्रिया को संशोधित करने हुए मेरी नियुक्ति के पत्रांक-3 के पद पर करने का गारंटी वृत्त किया जाय। इसके लिए सीमा का सहा अगरी बना 2012।

अनुसूचक :-

प्रासंगिक पत्र की प्रति लिपी

*Handwritten signature*

15-13

आपका विश्वास राजन

शिक्षा विभाग का

पिना-रतन लक्ष्मी

विभागाध्यक्ष

म. वि. वि. क. वि. वि.

अंचल - पूर्वी, बिहार, मधुबनी

पता - क. वि. वि.

पिन - 845102

राज्य - बिहार

जिला - मधुबनी

दिनांक - 15.01.13

सेवा में,

Annex-4 (son)

(21)

श्रीमान् निदेशक महोदय,

प्राथमिक शिक्षा (शिक्षा विभाग), बिहार, पटना।

विषय:- अनुकम्पा के आधार पर नियमित नियुक्ति के सम्बन्ध में।  
महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि मेरे पिताजी स्व. लखन लाल झा मृत नियमित सहायक शिक्षक, मध्य विद्यालय, करामा, प्रखण्ड-पुरैनी, जिला-मधेपुरा की मृत्यु सेवाकाल में ही दिनांक 27.10.2008 को हो गई। उनके मृत्युपरांत अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति से संबंधित आवेदन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), मधेपुरा एवं अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, मधेपुरा के कार्यालय में जमा किया। अनुकम्पा से संबंधित सामूहिक मामला उस समय माननीय उच्चतम न्यायालय एवं कुछ मामला उच्च न्यायालय, पटना में लंबित था के विरुद्ध सहमति पत्र जिसका आधार था कि यदि भविष्य में किसी वरीय /सक्षम न्यायालय द्वारा आदेश आने पर नियोजन को संशोधित किया जायेगा के आलोक में मेरी नियोजन दिनांक 14.05.12 को प्रखण्ड शिक्षक के रूप में कर दिया गया।

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का आदेश माननीय उच्च-न्यायालय से प्राप्ति के विरुद्ध जिला स्थापना, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के ज्ञापांक 968 दिनांक 18.11.2011 के आलोक में नियोजित शिक्षक को संशोधित कर वर्ग-3 के पद पर वेतनमान में नियुक्ति किया गया। जिसकी प्रति आवेदन के साथ लगाकर स्थापना समिति, मधेपुरा, जिला कार्यक्रम पदा. (स्थापना) मधेपुरा को दिया। इसी क्रम में संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 1971 दिनांक 13.08.12 का पत्र आया कि शिक्षा विभाग के रिक्त पदों का 15% पद को वर्ग-04 के कर्मियों के प्रोन्नति से भरा जायेगा शेष पदों पर वर्ग-3 के अनुकम्पा के आधार / सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया नियमानुसार अपनायी जा सकती है। उपर्युक्त पत्रांक भी संबंधित पदाधिकारी को आवेदन सहित उपलब्ध कराया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश भी समर्पित किया गया। फिर भी मेरी नियोजन को संबंधित पदाधिकारी के द्वारा संशोधित नहीं किया गया।

अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि उपर्युक्त विषय पर विचार करते हुए पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी, शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव के पत्रांक 1971 दिनांक 13.08.12 के आलोक में मुझे अनुकम्पा के आधार पर नियमित नियुक्ति करने का महती कृपा किया जाय। इसके लिए श्रीमान् का सदा आभारी रहूँगा।

संलग्न:-

1. समाहरणालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी की कार्यवाही की कॉपी।
2. विभाग के पत्रांक 1971 दिनांक 13.08.12 की प्रतिलिपि
3. माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की कच्ची प्रतिलिपि।

आपका विश्वासभाजन

शक्तिनाथ झा  
शक्तिनाथ झा

पिता-स्व. लखन लाल झा  
ग्राम-करामा, पोस्ट-भागीपुर  
भाया-आलमनगर, जिला-मधेपुरा  
दिनांक 16.01.13



सेवा में,

श्रीमान् प्रधान सचिव महोदय,  
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

विषय:-  
महाशय,

अनुकम्पा के आधार पर नियमित नियुक्ति के सम्बन्ध में।

16/3 11. 11. 2011  
18.1.13  
मंत्री

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि मेरे पिताजी स्व. **बोझा विकास एवं मृत्तु विभाग**

नियमित सहायक शिक्षक, मध्य विद्यालय, करामा, प्रखण्ड-पुरैनी, जिला-मधेपुरा की मृत्यु सेवाकाल ही दिनांक 27.10.2008 को हो गई। उनके मृत्युपरांत अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति से संबंधित आवेदन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), मधेपुरा एवं अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, मधेपुरा के कार्यालय में जमा किया। अनुकम्पा से संबंधित सामूहिक मामला उस समय माननीय उच्चतम न्यायालय एवं कुछ मामला उच्च न्यायालय, पटना में लंबित था के विरुद्ध सहमति पत्र जिसका आधार था कि यदि भविष्य में किसी वरीय /सक्षम न्यायालय द्वारा आदेश आने पर नियोजन को संशोधित किया जायेगा के आलोक में मेरी नियोजन दिनांक 14.05.12 को प्रखण्ड शिक्षक के रूप में कर दिया गया।

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का आदेश माननीय उच्च-न्यायालय से प्राप्ति के विरुद्ध जिला स्थापना, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के ज्ञापांक 968 दिनांक 18.11.2011 के आलोक में नियोजित शिक्षक को संशोधित कर वर्ग-3 के पद पर वेतनमान में नियुक्ति किया गया। जिसकी प्रति आवेदन के साथ लगाकर स्थापना समिति, मधेपुरा, जिला कार्यक्रम पदा. (स्थापना) मधेपुरा को दिया। इसी क्रम में संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 1971 दिनांक 13.08.12 का पत्र आया कि शिक्षा विभाग के रिक्त पदों का 15% पद को वर्ग-04 के कर्मियों के प्रोन्नति से भरा जायेगा शेष पदों पर वर्ग-3 के अनुकम्पा के आधार / सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया नियमानुसार अपनायी जा सकती है। उपर्युक्त पत्रांक भी संबंधित पदाधिकारी को आवेदन सहित उपलब्ध कराया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश भी समर्पित किया गया। फिर भी मेरी नियोजन को संबंधित पदाधिकारी के द्वारा संशोधित नहीं किया गया।

अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि उपर्युक्त विषय पर विचार करते हुए पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी, शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव के पत्रांक 1971 दिनांक 13.08.12 के आलोक में मुझे अनुकम्पा के आधार पर नियमित नियुक्ति करने का महती कृपा किया जाय। इसके लिए श्रीमान् का सदा आभारी रहूँगा।

संलग्न:-

1. समाहरणालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी की कार्यवाही की कॉपी।
2. विभाग के पत्रांक 1971 दिनांक 13.08.12 की प्रतिलिपि
3. माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की कच्ची प्रतिलिपि।

आपका विश्वासभाजन

शक्तिनाथ झा  
शक्तिनाथ झा

पिता-स्व. लखन लाल झा  
ग्राम-करामा, पोस्ट-भागीपुर  
भाया-आलमनगर, जिला-मधेपुरा  
दिनांक 18.01.13

कुल संलग्न - 11 पृष्ठ

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री महोदय, विधि एवं योजना विकास विभाग की आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

आवासीय कार्यालय  
मंत्री, योजना विकास एवं विधि विभाग  
बिहार, पटना

समाहरणालय पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी  
(जिला स्थापना)

आदेश

23 (1)

दिनांक 20.09.2011, 22.10.2011 एवं 17.11.2011 को जिला अनुकम्पा समिति पूर्वी चम्पारण की बैठक अद्योहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में विभिन्न विभागों से प्राप्त अनुकम्पात्मक नियुक्ति के प्रस्तावों की समीक्षा कार्गिक एवं प्रशासनिक सुधार (सामान्य प्रशासन) विभाग बिहार पटना के अद्यतन अनुदेश पत्रों के आलोक में की गयी एवं निर्धारित अर्हता के अनुसार योग्य पाये गये अभ्यर्थियों की अनुकम्पात्मक नियुक्ति संबंधित विभागों में रिक्त पदों पर करने की अनुरासा सर्वसम्मति से की गयी जो अभ्यर्थियों के नाम के समक्ष कॉलम में अंकित की गयी है। कुछ विभागों के विभागीय निबंधन पदाधिकारियों के बैठक में अनुपरिथत रहने एवं समयाभाव के कारण उनसे संबंधित प्रस्तावों को आगामी बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।

माननीय उच्च न्यायालय पटना के आदेश से आच्छादित शिक्षा विभाग के 27 (क्रमांक 18 से 44 तक) के मामले पर गहन समीक्षा की गई एवं जिला अनुकम्पा समिति द्वारा पूर्व में की गयी अनुरासा को माननीय न्यायालय के न्यायादेशानुसार वर्ग-03 के पद पर नियुक्ति करने की अनुरासा सर्व सम्मति से इस तर्क के साथ की गयी कि एकल पीठ के निर्णय के विरुद्ध वरीय/सक्षम न्यायालय द्वारा यदि भविष्य में कोई आदेश पारित होता है तो यह अनुरासा पुनः संशोधनीय होगा। सरकारी अधिवक्ता से भी विधि परामर्श लिया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चम्पारण मोतिहारी के पत्रांक 367 दिनांक 13.10.11 द्वारा सूचित है कि निदेशक, शिक्षा के पत्रांक 500(विधि) दिनांक 16.06.07 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर एम0जे0सी0 सं0-2571/06 के आलोक में वर्ग-03 की रिक्ति को चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की प्रोन्नति से भरा जायेगा। इस प्रकार शिक्षा विभाग में वर्ग-03 की रिक्ति नहीं होने के कारण मुख्य सचिव, बिहार, पटना के पत्रांक 2271 दिनांक 02.07.07 के आलोक में शिक्षा विभाग के अभ्यर्थी (क्रमांक 18 से 44 तक) कि नियुक्ति की अनुरासा अन्य विभागों में करने का निर्णय लिया गया जो संबंधित अभ्यर्थियों के नाम के समक्ष कॉलम में अंकित की गयी है। यह भी निर्णय लिया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना द्वारा सरकारी सेवाओं में नियुक्ति हेतु निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा से अधिक उम्र होने की स्थिति में संबंधित नियुक्ति पदाधिकारी सक्षम प्राधिकार से उम्र क्षांति की स्वीकृति प्राप्त कर लेंगे।

नियुक्ति हेतु अनुरासित अभ्यर्थियों के सभी प्रमाण-पत्रों की गहन जांच एवं विधिवत् सत्यापन करवाकर संतुष्ट होने के उपरांत ही संबंधित नियुक्ति पदाधिकारी इनकी नियुक्ति करेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना की अधिसूचना संख्या 821 दिनांक 23.03.2011 की कंडिका 06 के अनुसार वर्ग 03 के प्रस्तावित निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्त होने वाले अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करना वांछनीय होगा। नियुक्ति पत्र में इस आशय का शर्त अंकित किया जायेगा। अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित प्रमाण पत्रों की जांच एवं सत्यापन में किसी भी प्रकार की अनियमितता प्राप्त होने पर नियुक्ति की अनुरासा किसी भी समय रद्द कर दी जायेगी।

अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम/विभाग	पत्राचार का पूरा पता	मृत्यु की तिथि	शैक्षणिक योग्यता	अनुकम्पा समिति की अनुरासा
1	2	3	4	5
1 आदित्य कुमार स्व0 रात राम जीप थालक, पहाड़पुर प्रखंड।	ग्राम- कोरिया पो0-तुरकौलिया, पूर्वी चम्पारण।	01.09.2010	इंटर	आश्रित परिवार के कारण पंजीयन व राशय-पत्र प्राप्त करते हुए वर्ग 0 के पद पर नियुक्ति हेतु अनुरासित। वेतनमान 5200-20200 ग्रेड पे-1900
2 जितेन्द्र पासवान स्व0 हीरा राम, भण्डारपाल तुरकौलिया	ग्राम-बड़ा बरियारपुर पो0- बरियारपुर थाना-छतौनी मोतिहारी	28.08.2009	इंटर	वर्ग-03 के पद पर नियुक्ति हेतु अनुरासित। वेतनमान 5200-2020 ग्रेड पे-1900
3 मु0 सुरीला देवी स्व0 राममनोहर राउत पदचर, केसरिया अंचल	ग्राम-पो0+केसरिया थाना-केसरिया, जिला-पूर्वी चम्पारण।	30.06.2010	अष्टम	चतुर्थ वर्ग की शैक्षणिक योग्यता व संबंध में विभाग से निदेश की गई है जो प्राप्त नहीं है आगामी बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।
4 मनीष कुमार स्व0अशोक कुमार मिश्र पंचायत सचिव, मोतिहारी प्रखंड।	ग्राम- सिहोरवा कररिया पो0- कररिया थाना-कोटवा पूर्वी चम्पारण।	04.01.2009	इंटर	सभी मूल प्रमाण-पत्र लेने का निर्णय लिया गया।
5 विक्रांत कौशिक अधीर कुमार कौशिक पंचायत सचिव	ग्राम-महमदा पो0+थाना+अंचल पूसा समस्तीपुर।	23.01.2011	इंटर	वर्ग-03 के पद पर नियुक्ति हेतु अनुरासित। वेतनमान 5200-20200 ग्रेड पे-1900

30

6	टीकू राउत स्व0 रागाचार राउत अनुसेवक, केसरिया प्रखंड।	ग्राम-पुरानी बाजार पो0-थाना- केसरिया पूर्वी चम्पारण	02.07.2011	प्रवेशिका	आगामी बैठक में रखने का निर्णय गया।
	कुमार मनीष स्व0 निरंजन पासवान आ0 प्र0 पुलिस केन्द्र मोतिहारी।	ग्राम-हरिजन कल्याण टोला बरियारपुर, पो0-बरियारपुर जिला-मुंगेर	13.04.2011	इंटर	आगामी बैठक में रखने का निर्णय गया।
8	सौरभ कुमार भट्ट स्व0 सुव कुमार शर्मा, सहायक, अवर निरीक्षक पुलिस केन्द्र मोतिहारी	ग्राम-सटबहीनी, पो0-सटबहीनी, थाना-विश्रामपुर, जिला पलामू	01.06.2010	इंटर	आगामी बैठक में रखने का निर्णय गया।
9	इन्द्रजीत कुमार स्व0 अजीत कुमार रजक सहायक, अवर निरीक्षक पुलिस केन्द्र मोतिहारी	ग्राम-पो0-कोईलवर काजी मुहल्ला थाना-कोईलवर, जिला भोजपुर	08.11.2011	स्नातक	आगामी बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।
10	जितेन्द्र कुमार स्व0 सुरेन्द्र गिरी मजदूर विधुत कार्य प्रशाखा मोतिहारी	ग्राम-सुगाँव कोठी पो0-सुगाँव थाना-सुगाँव पूर्वी चम्पारण।	17.06.2010	इंटर	प्रस्ताव के साथ संलग्न कागजात विभागीय पत्र का अवलोकन किया गया। मृत कर्मी के पैतृक विभाग वर्ग-03 का पद उपलब्ध नहीं है। अ विभाग में अनुशासा भेजने की विन्तु। आगामी बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।
11	रामचन्द्र महतो स्व0 मिखर महतो, पथ श्रमिक, रा0 उ0 पथ प्रमंडल मोतिहारी	ग्राम-रामगढ़वा, पो0-दामोदपुर, थाना - पीपरा पूर्वी चम्पारण।	05.10.2009	अष्टम	चतुर्थ वर्ग की शैक्षणिक योग्यता संबंध में विभाग से निदेश की मांग क गई है जो प्राप्त नहीं है। आगामी बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।
12	लालधर प्रसाद स्व0 जगदेव प्रसाद कोष रक्षक, ढाका नहर नवीकरण प्रमंडल ढाका	ग्राम-मीरपुर पो0-मीरपुर थाना-धिरैया पूर्वी चम्पारण।	10.05.2010	अष्टम	चतुर्थ वर्ग की शैक्षणिक योग्यता के संबंध में विभाग से निदेश की मांग की गई है जो प्राप्त नहीं है। आगामी बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।
13	अनिल कुमार यादव स्व0 भरत प्रसाद यादव अनुसेवक त्रिवेणी नहर प्रमंडल रक्सौल।	ग्राम-कुकुरा थाना-शिकारपुर जिला-पो चम्पारण।	24.09.2010	अष्टम	चतुर्थ वर्ग की शैक्षणिक योग्यता के संबंध में विभाग से निदेश की मांग की गई है जो प्राप्त नहीं है। आगामी बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।
14	रोशन कुमार झा, स्व0 अमरेन्द्र झा अनुसेवक, जल निस्सरण अनु0 प्रमंडल मोतिहारी।	ग्राम+पो0 ब्रह्मपुरा थाना-अरेर भाया-बेनीपट्टी, मधुबनी।	25.02.2011	स्नातक	वर्ग-03 के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशासित। वेतनमान 5200-20200 ग्रेड पे-1900
15	विवेक शर्मा, स्व0 विकास शर्मा बनपाल, मोतिहारी वन प्रमंडल	मोती भवन पुलिस लाइन के सामन गोल धर बुद्ध मार्ग पटना-800001	04.08.2011	स्नातक	वर्ग-03 के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशासित। वेतनमान 5200-20200 ग्रेड पे-1900
16	सोनू कुमार राय स्व0 चुनचुन राय कामदार ईछ विकास मोतिहारी।	ग्राम-किसनपुरा पो0-पचभिडा थाना-तरैया, मधेरा, सारण।	26.11.1997 (लापता)	अष्टम	चतुर्थ वर्ग की शैक्षणिक योग्यता के संबंध में विभाग से निदेश की मांग की गई है जो प्राप्त नहीं है। आगामी बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।
17	मुन्ना राम स्व0 यशोदा देवी सहायिका कृषि सुगाँव प्रखंड पूर्वी चम्पारण।	ग्राम-सोडा गोदाम चौक पो0- बनारस बैंक चौक थाना- मुजफ्फरपुर जिला- मुजफ्फरपुर।	01.12.2009	नवम	चतुर्थ वर्ग की शैक्षणिक योग्यता के संबंध में विभाग से निदेश की मांग की गई है जो प्राप्त नहीं है। आगामी बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।

Sl. No. - तिथि	अभ्यर्थी का नाम पिता का नाम एवं विभाग	पत्राचार का पूरा पता	पूर्व में की गई अनुशंसा की तिथि एवं पद का नाम	शैक्षणिक योग्यता	अनुकम्पा समिति की अनुशंसा
2	3	4	5	7	8
16379/2009 28.01.2010	सिमाब रजा स्व0 बसीर अहम्मद प्रधान शिक्षक प्रा0 वि0 संदा उर्दू हरसिद्धि अंचल।	ग्राम- अरेराज थाना- गोविन्दगंज पूर्वी चम्पारण।	29.06.2007 शिक्षक के पद पर	स्नातक	माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा विभिन्न वादों में पारित सामूहिक आदेश के आलोक में पूर्व में की गई अनुशंसा को संशोधित करते हुए वर्ग-03 के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित। वेतनमान - 5200-20,200 ग्रेड पे- 1900 नियोक्ता- स्वास्थ्य विभाग। नियुक्ति पदा0- असेनिक शल्य चिकित्सक- सह -मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मोतिहारी
16379/2009 28.01.2010	नौवाद अहम्मद स्व0 खातुननिसा सहायक शिक्षिका रा0 प्रा0 वि0 खजुरिया।	ग्राम- खजुरिया थाना- गोविन्दगंज पूर्वी चम्पारण।	29.06.2007 शिक्षक के पद पर	स्नातक	माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा विभिन्न वादों में पारित सामूहिक आदेश के आलोक में पूर्व में की गई अनुशंसा को संशोधित करते हुए वर्ग-03 के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित। वेतनमान-5200-20,200 ग्रेड पे- 1900 नियोक्ता- स्वास्थ्य विभाग। नियुक्ति पदा0- असेनिक शल्य चिकित्सक- सह -मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मोतिहारी
16379/2009 28.01.2010	प्रदीप कुमार स्व0 विपीन बिहारी प्रसाद सहायक शिक्षक मा0 वि0 जटवा उर्दू बजरिया।	ग्राम- बुढवा पो0- कुकुजरी भाया रघुनाथपुर। पूर्वी चम्पारण।	15.04.2008 शिक्षक के पद पर	इंटर	माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा विभिन्न वादों में पारित सामूहिक आदेश के आलोक में पूर्व में की गई अनुशंसा को संशोधित करते हुए वर्ग-03 के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित। वेतनमान -5200-20,200 ग्रेड पे- 1900 नियोक्ता- चम्पारण प्रमंडल मोतिहारी नियुक्ति पदाधिकारी- अधीक्षण अभियंता
16379/2009 28.01.2010	सुरेश्वर निश स्व0 दुर्गा निश सहायक शिक्षक रा0 मा0 वि0 जयनगर (छांडादानों)	ग्राम- गोला पकड़िया पो0 मंजिरवा थाना- लखौरा पूर्वी चम्पारण।	15.04.2008 शिक्षक के पद पर	इंटर	माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा विभिन्न वादों में पारित सामूहिक आदेश के आलोक में पूर्व में की गई अनुशंसा को संशोधित करते हुए वर्ग-03 के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित। वेतनमान -5200-20,200 ग्रेड पे- 1900 नियोक्ता- स्वास्थ्य विभाग। नियुक्ति पदा0- असेनिक शल्य चिकित्सक- सह -मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मोतिहारी
16379/2009 28.01.2010	प्रमोद कुमार स्व0 गणेश प्रसाद सहायक शिक्षक हनुमान उ0 वि0 ठिकहॉ मवानीपुर।	ग्राम- धनगढ़हॉ थाना- डूमरिया पूर्वी चम्पारण।	15.04.2008 शिक्षक के पद पर	स्नातक	माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा विभिन्न वादों में पारित सामूहिक आदेश के आलोक में पूर्व में की गई अनुशंसा को संशोधित करते हुए वर्ग-03 के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित। वेतनमान -5200-20,200 ग्रेड पे- 1900 नियोक्ता- स्वास्थ्य विभाग। नियुक्ति पदा0- असेनिक शल्य चिकित्सक- सह -मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मोतिहारी
16379/2009 28.01.2010	अमीत रंजन स्व0 जयलेश कुमारी सहायक शिक्षिका प्रा0 वि0 चिलवनिया।	ग्राम- न्यू छौंदमारी चिलवनिया बंजरिया प्रमंडल पूर्वी चम्पारण।	29.08.2007 शिक्षक के पद पर	इंटर	माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा विभिन्न वादों में पारित सामूहिक आदेश के आलोक में पूर्व में की गई अनुशंसा को संशोधित करते हुए वर्ग-03 के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित। वेतनमान -5200-20,200 ग्रेड पे- 1900 नियोक्ता- स्वास्थ्य विभाग। नियुक्ति पदा0- असेनिक शल्य चिकित्सक- सह -मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मोतिहारी

15379 / 2009 28.01.2010	आनंद रंजन सिंह, स्व० चितरंजन सिंह सहायक शिक्षक रा० म० वि० हरसिद्धि।	ग्राम- जैतापुर थाना-पलनजा, परवर्ग-राजपुरा, पूर्वी चम्पारण।	29.06.2007 शिक्षक के पद पर	इंटर	माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा विभिन्न वादों में पारित सामूहिक आदेश के आलोक में पूर्व में की गई अनुशंसा को संशोधित करते हुए वर्ग-03 के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित। वेतनमान -5200-20,200 ग्रेड पे- 1900 नियोक्ता - स्वास्थ्य विभाग। नियुक्ति पदा० असैनिक शल्यचिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदा०
15379 / 2009 28.01.2010	प्रकाश चन्द्र हिमाबु स्व० घेनुखि राउत, सहायक शिक्षक, रा० प्रा० वि० सुगीली।	ग्राम- रपुरवा, थाना-गोविन्दगंज पूर्वी चम्पारण।	15.04.2008 शिक्षक के पद पर	इंटर	माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा विभिन्न वादों में पारित सामूहिक आदेश के आलोक में पूर्व में की गई अनुशंसा को संशोधित करते हुए वर्ग-03 के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित। वेतनमान-5200-20,200 ग्रेड पे- 1900 नियोक्ता- स्वास्थ्य विभाग। असैनिक शल्य चिकित्सक- सह -मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मोतिहारी
16379 / 2009 28.01.2010	जितेन्द्र नाथ द्विवेदी स्व० शिवशंकर द्विवेदी, प्रधान शिक्षक प्रा० वि० राजपुर अरराज।	ग्राम- माधोपुर, पो०- कृतपुर मठिया, थाना-हरसिद्धि	15.04.2008 शिक्षक के पद पर	इंटर	माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा विभिन्न वादों में पारित सामूहिक आदेश के आलोक में पूर्व में की गई अनुशंसा को संशोधित करते हुए वर्ग-03 के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित। वेतनमान - 5200-20,200 ग्रेड पे- 1900 नियोक्ता- स्वास्थ्य विभाग। नियुक्ति पदा० असैनिक शल्य चिकित्सक- सह -मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मोतिहारी
16379 / 2009 28.01.2010	कल्याण कुमार झा स्व० रुदल झा, प्रा० शिक्षक प्रा० वि० सुन्दरपुर, (घोड़ासहन)।	ग्राम- तेलहारा खुर्द पो०- तेलहारा काला, थाना- ढाका पूर्वी चम्पारण।	29.06.2007 शिक्षक के पद पर	उप शास्त्री	माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा विभिन्न वादों में पारित सामूहिक आदेश के आलोक में पूर्व में की गई अनुशंसा को संशोधित करते हुए वर्ग-03 के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित। वेतनमान - 5200-20,200 ग्रेड पे- 1900 नियोक्ता- स्वास्थ्य विभाग। नियुक्ति पदा० असैनिक शल्य चिकित्सक- सह -मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मोतिहारी
16379 / 2009 28.01.2010	महानूब आलम स्व० मुशीर आलम सहायक शिक्षक प्रा० वि० उर्दू बहादुरपुर, घोड़ासहन।	ग्राम- बड़हरवा फत्ते मोहम्मद, पो०-बड़हरवा प्रखंड, ढाका, पूर्वी चम्पारण	29.06.2007 शिक्षक के पद पर	इंटर	माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा विभिन्न वादों में पारित सामूहिक आदेश के आलोक में पूर्व में की गई अनुशंसा को संशोधित करते हुए वर्ग-03 के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित। वेतनमान-5200-20,200 ग्रेड पे- 1900 नियोक्ता-मदन अंचल मोतिहारी नियुक्ति पदाधिकारी-अधीक्षण अभियंता
16379 / 2009 28.01.2010	कुमार सागर स्व० श्रीकान्त मिश्र सहायक शिक्षक म० वि० पकड़ी दिक्षित कल्याणपुर प्रखंड।	ग्राम- रामपुर खजूरिया थाना- डूमरिया, घाट पूर्वी चम्पारण।	29.06.2007 शिक्षक के पद पर	इंटर	माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा विभिन्न वादों में पारित सामूहिक आदेश के आलोक में पूर्व में की गई अनुशंसा को संशोधित करते हुए वर्ग-03 के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित। वेतनमान -5200-20,200 ग्रेड पे- 1900 नियोक्ता- ढाका नहर नदीकरण प्रमंडल ढाका। नियुक्ति पदाधिकारी-अधीक्षण अभियंता
16379 / 2009 28.01.2010	शम्श परवेज अहमद स्व० मोहम्मद तबारक हुसेन प्रा० शिक्षक रा० प्रा० वि० राजपुर संग्रामपुर।	ग्राम- जलया, टोली पो०- हुसैनी, थाना- डूमरिया घाट पूर्वी चम्पारण।	29.06.2007 शिक्षक के पद पर	मौलवी	माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा विभिन्न वादों में पारित सामूहिक आदेश के आलोक में पूर्व में की गई अनुशंसा को संशोधित करते हुए वर्ग-03 के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित। वेतनमान -5200-20,200 ग्रेड पे- 1900 नियोक्ता- ढाका नहर नदीकरण प्रमंडल ढाका। नियुक्ति पदाधिकारी-अधीक्षण अभियंता

2009 2010	अमिन्यु शर्मा स्व० कामेश्वर सिंह प्र० शिक्षक प्र० न० वि० पैठानपट्टी उर्दू हरसिद्धि।	ग्राम- ओलडा पो०- मेहताटोला भाया- दरियापुर थाना-हरसिद्धि।	15.04.2008 शिक्षक के पद पर	इंटर	माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा विभिन्न वादों में पारित सामूहिक आदेश के आलोक में पूर्व में की गई अनुशांसा को संशोधित करते हुए वर्ग-03 के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशांसित । वेतनमान-5200-20,200 ग्रेड पे- 1900 नियोक्ता- ढाका नहर नवीकरण प्रमंडल ढाका। नियुक्ति पदाधिकारी-अधीक्षण अभियंता
16379 / 2009 23.01.2010	मोइनुलहक स्व० मोहिबुलहक अन्तारे, सहायक शिक्षक रा० न० वि० लखौरा।	ग्राम+पो०- सेमरहिया, थाना- छोड़ादानों पूर्वी चम्पारण।	15.04.2008 शिक्षक के पद पर	इंटर (विज्ञान)	माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा विभिन्न वादों में पारित सामूहिक आदेश के आलोक में पूर्व में की गई अनुशांसा को संशोधित करते हुए वर्ग-03 के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशांसित । वेतनमान-5200-20,200 ग्रेड पे-1900 नियोक्ता-घोड़ासहन नहर प्रमंडल रक्सौल। नियुक्ति पदा०- अधीक्षण अभियंता।
6379 / 2009 28.01.2010	डबु कुमार झा स्व० रविन्द्र मोहन झा सहायक शिक्षक रा० प्र० वि० सुगौव कन्या सुगौती।	ग्राम- छगराहो सुगौती पूर्वी चम्पारण।	15.04.2008 शिक्षक के पद पर	इंटर	माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा विभिन्न वादों में पारित सामूहिक आदेश के आलोक में पूर्व में की गई अनुशांसा को संशोधित करते हुए वर्ग-03 के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशांसित । वेतनमान-5200-20,200 ग्रेड पे-1900 नियोक्ता-घोड़ासहन नहर प्रमंडल रक्सौल। नियुक्ति पदा०- अधीक्षण अभियंता।
16379 / 2009 28.01.2010	विनय रंजन कुमार शर्मा स्व० राकेश कुमार शर्मा प्रधान, शिक्षक रा० प्र० वि० चितामणपुर।	ग्राम-शर्मा टोला पो०-अरेशाज थाना-गोविन्दगंज पूर्वी चम्पारण।	15.04.2008 शिक्षक के पद पर	इंटर	माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा विभिन्न वादों में पारित सामूहिक आदेश के आलोक में पूर्व में की गई अनुशांसा को संशोधित करते हुए वर्ग-03 के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशांसित । वेतनमान-5200-20,200 ग्रेड पे-1900 नियोक्ता-घोड़ासहन नहर प्रमंडल रक्सौल। नियुक्ति पदा०- अधीक्षण अभियंता।
16379 / 2009 28.01.2010	मुकेश कुमार स्व०-रघुनाथ प्रसाद, सहायक शिक्षक मलिया टोला चिरैया पूर्वी चम्पारण।	ग्राम+पो० मिश्रयलिया, थाना- चिरैया, प्रखंड चिरैया पूर्वी चम्पारण।	15.04.2008 शिक्षक के पद पर	स्नातक	माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा विभिन्न वादों में पारित सामूहिक आदेश के आलोक में पूर्व में की गई अनुशांसा को संशोधित करते हुए वर्ग-03 के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशांसित । वेतनमान-5200-20,200 ग्रेड पे-1900 नियोक्ता- तिरहुत नहर अंचल मोतिहारी। नियुक्ति पदाधिकारी- अधीक्षण अभियंता
4338 / 2009 03.02.2010	मनीष कुमार गिरी स्व० जगदीश गिरी, सहायक शिक्षक, रा० प्र० वि० मथुरापुर तुरकौलिया अंचल।	ग्राम- राजापुर मटिया प्रखंड-कोटया पूर्वी -चम्पारण।	04.12.2008 प्र० शिक्षक के पद पर	इंटर	माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा विभिन्न वादों में पारित सामूहिक आदेश के आलोक में पूर्व में की गई अनुशांसा को संशोधित करते हुए वर्ग-03 के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशांसित। वेतनमान -5200-20,200 ग्रेड पे-1900 नियोक्ता- ग्रामीण कार्य विभाग। नियुक्ति पदाधिकारी-अधीक्षण अभियंता।
14533 / 2009 03.02.2010	आसुतोष कुमार स्व० सुरेन्द्र प्रसाद सिंह सहायक शिक्षक, गोपाल साह उ० वि० मोतिहारी।	ग्राम- धुघुवा, प्रखंड बनकटया पूर्वी चम्पारण।	15.04.2008 शिक्षक के पद पर	स्नातक	माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा विभिन्न वादों में पारित सामूहिक आदेश के आलोक में पूर्व में की गई अनुशांसा को संशोधित करते हुए वर्ग-03 के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशांसित । वेतनमान -5200-20,200 ग्रेड पे-1900 नियोक्ता- ग्रामीण कार्य विभाग। नियुक्ति पदाधिकारी-अधीक्षण अभियंता।

50/2009 02.02.2010	नवीन कुमार मिश्र स्व० रामजमंगल मिश्र प्रा० वि० बगंसा, कल्याणपुर अंचल।	ग्राम- चकितबल वारा शंकर, प्रखंड- पताही,	04.12.2008 प्रखंड शिक्षक के पद पर	स्नातक	माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा विभिन्न वादों में पारित सामूहिक आदेश के आलोक में पूर्व में की गई अनुशंसा को संशोधित करते हुए वर्ग-03 के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित। वेतनमान -5200-20,200 ग्रेड पे- 1900 नियोक्ता- चम्पारण प्रमंडल नियुक्ति पदाधिकारी - अधीक्षण अभियंता
39 5150/2009 03.02.2010	संतोष कुमार स्व० दिलीप चंद्र झा सह-उच्च शिक्षक मंगल तनहरी मोतिहारी।	ग्राम- हरिपुर धाना-धुरना बजार, जिला- अररिया	04.12.2008 प्रखंड शिक्षक के पद पर	स्नातक	माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा विभिन्न वादों में पारित सामूहिक आदेश के आलोक में पूर्व में की गई अनुशंसा को संशोधित करते हुए वर्ग-03 के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित। वेतनमान -5200-20,200 ग्रेड पे- 1900 नियोक्ता-ग्रामीण कार्य विभाग। नियुक्ति पदाधिकारी-अधीक्षण अभियंता।
40 595/2010 23.02.2010	प्रमशंकर पाण्डेय स्व० कपिलेश्वर, नाथ पाण्डेय, सहायक शिक्षक बालदेव अयोध्या प्रा० वि० वारा चकिया।	ग्राम- वारा चकिया वार्ड न०-09 प्रखंड चकिया पूर्वी चम्पारण।	04.12.2008 प्रखंड शिक्षक के पद पर	स्नातकोत्तर	माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा विभिन्न वादों में पारित सामूहिक आदेश के आलोक में पूर्व में की गई अनुशंसा को संशोधित करते हुए वर्ग-03 के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित। वेतनमान -5200-20,200 ग्रेड पे- 1900 नियोक्ता-स्वास्थ्य विभाग। नियुक्ति पदा० असेनिक शल्य चिकित्सक- सह -मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मोतिहारी
41 74/2010 12.2010	मिन्दु कुमार सिंह स्व० रामनाथ सिंह सहायक शिक्षक बाबूलाल साह उ० वि० चकिया।	ग्राम- परशुरामपुर धाना- भीमरा, पूर्वी चम्पारण।	15.04.2008 शिक्षक के पद पर	इंटर	माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा विभिन्न वादों में पारित सामूहिक आदेश के आलोक में पूर्व में की गई अनुशंसा को संशोधित करते हुए वर्ग-03 के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित। वेतनमान-5200- 20,200 ग्रेड पे- 1900 नियोक्ता- चम्पारण प्रमंडल मोतिहारी नियुक्ति पदाधिकारी-अधीक्षण अभियंता
42 870/2010 03.02.2010	सुजीत कुमार स्व० जयनाथ राम सहायक शिक्षक, रा० प्रा० वि० सिरनी अरेराज अंचल।	ग्राम+पो- चिन्तामनपुर धाना- पीपरा, पूर्वी चम्पारण।	15.04.2008 शिक्षक के पद पर	इंटर	माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा विभिन्न वादों में पारित सामूहिक आदेश के आलोक में पूर्व में की गई अनुशंसा को संशोधित करते हुए वर्ग-03 के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित। वेतनमान-5200-20,200 ग्रेड पे- 1900 नियोक्ता-चम्पारण प्रमंडल मोतिहारी नियुक्ति पदाधिकारी- अधीक्षण अभियंता
43 725/2010 23.02.2010	विकास कुमार स्व० सिताराम सहनी, सहायक शिक्षक, प्रा० वि० भोपतपुर, कल्याणपुर।	ग्राम- खटोलवा पो०-हाजीपुर, धाना- कल्याणपुर	29.08.2007 शिक्षक के पद पर	इंटर	माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा विभिन्न वादों में पारित सामूहिक आदेश के आलोक में पूर्व में की गई अनुशंसा को संशोधित करते हुए वर्ग-03 के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित। वेतनमान-5200-20,200 ग्रेड पे- 1900 नियोक्ता- चम्पारण प्रमंडल मोतिहारी। नियुक्ति पदाधिकारी- अधीक्षण अभियंता।


29 7

1322 / 2010 03.02.2010	उमेश कुमार स्व० शत्रुघ्न भागत स० शिक्षक, रा० उ० १३० पीपरा खेम।	ग्राम-दामोदपुर हाउसिंग बोर्ड धाना-कांटी जिला-मुजफ्फरपुर	04.12.2008 प्रखंड शिक्षक के पद पर	स्नातक	माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा विभिन्न वार्डों में पारित सामूहिक आदेश त आलोक में पूर्व में की गई अनुशासन म संशोधित करते हुए वर्ष-03 के पद प नियुक्ति हेतु अनुशासित। वेतनमान -5200-20,200 ग्रेड पे- 1904 नियोक्ता-चम्पारण प्रमंडल मोतिहारी नियुक्ति पदाधिकारी अधीक्षण अभियंता
---------------------------	---	--	---	--------	---

६०/

जिलाधिकारी  
-सह-अध्यक्ष  
जिला अनुकम्पा समिति  
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक 968 दिनांक 18/11/2011 /  
संबंधित सभी नियुक्ति पदाधिकारी / संबंधित सभी अभ्यर्थी / असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य  
चिकित्सा पदाधिकारी, मोतिहारी / मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, वाल्मिकी नगर  
शिविर मोतिहारी / पुलिस अधीक्षक मोतिहारी / जिला शिक्षा पदाधिकारी मोतिहारी / जिला  
प्रोग्राम पदाधिकारी (स्थापना शिक्षा विभाग) मोतिहारी / क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक तिरहुत  
प्रमंडल मुजफ्फरपुर अधीक्षण अभियंता, जल निस्सरण अनुसंधान प्रमंडल मोतिहारी / अधीक्षण  
अभियंता, रा० उ० पथ अंचल मुजफ्फरपुर / अधीक्षण अभियंता, तिरहुत नहर अंचल  
मोतिहारी / विधुत कार्यपालक अभियंता, विधुत कार्य प्रमंडल मुजफ्फरपुर / सहायक निदेशक,  
ईख विकास मोतिहारी / अधीक्षण अभियंता, तिरहुत नहर अंचल रक्सौल / अधीक्षण अभियंता  
ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल-2 ढाका / अधीक्षण अभियंता चम्पारण प्रमंडल  
मोतिहारी / अधीक्षण अभियंता अंचल मोतिहारी / वन प्रमंडल पदाधिकारी मोतिहारी / कार्यपालक  
अभियंता, रा० उ० पथ प्र० मोतिहारी / कार्यपालक अभियंता, चम्पारण प्रमंडल, मोतिहारी / अधीक्षण  
अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता ढाका नहर नवीकरण प्रमंडल ढाका / अधीक्षण अभियंता  
घोड़ासहन नहर प्रमंडल रक्सौल / कार्यपालक अभियंता त्रिवेणी नहर प्रमंडल रक्सौल /  
कार्यपालक अभियंता जल निस्सरण अनुसंधान प्रमंडल मोतिहारी / संयुक्त कृषि निदेशक तिरहुत  
प्रमंडल मुजफ्फरपुर / प्रखंड विकास पदाधिकारी पहाड़पुर, तुरकोलिया, केसरिया, मोतिहारी,  
सुगौली, बजरिया / अचलाधिकारी केसरिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
प्रतिलिपि- अपर समाहर्ता, पूर्वी चम्पारण / उप विकास आयुक्त पूर्वी चम्पारण / जिला कल्याण पदाधिकारी  
पूर्वी चम्पारण, को सूचनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि- सरकार के उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना / मुख्य विधुत अभियंता उर्जा  
विभाग, बिहार पटना / ईख आयुक्त विहार पटना / आयुक्त के सचिव तिरहुत प्रमंडल  
मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

  
जिलाधिकारी  
-सह-अध्यक्ष  
जिला अनुकम्पा समिति  
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।



16

कालान्तर में वित्त विभाग के संकल्प संख्या-2937 दिनांक-31.03.2011 द्वारा वर्ग-3 के वैसे कर्मियों जो लिपिक के पद पर नियुक्ति की अर्हता रखते हैं, उन्हें बिना किसी परीक्षा व वरीयता क्रम में लिपिक संवर्ग में नियुक्ति करने संबंधी निदेश संसूचित है।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि वर्ग-3 के पदों को वर्ग-4 के कर्मियों से भरे जाने के संबंध में नीति मूलक परिवर्तन हुआ है। वित्त विभाग द्वारा निर्गत संकल्प में वर्ग-4 के कर्मियों से भरे जाने वाले वर्ग-3 के पदों का प्रतिशत बंधेज अंकित नहीं है। अतएव सामान्य प्रशासन विभाग से इस संबंध में परामर्श प्राप्त किया गया। प्राप्त परामर्श के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त वर्ग-3 के (पन्द्रह) प्रतिशत पदों को वर्ग-4 के कर्मियों से वित्त विभाग के उपर्युक्त संकल्प में निहित निदेशानुसार भरने हेतु संगत नियमावली में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

सरकार के आदेशानुसार निदेश दिया जाता है कि क्षेत्रीय कार्यालयों/राजकीय उच्च विद्यालयों में वर्ग-3 के रिक्त पदों जिसके विरुद्ध बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधियाचना हेतु आपके द्वारा निदेशालय को प्रतिवेदन नहीं भेजा गया है, के विरुद्ध 15 प्रतिशत पदों को वर्ग-4 के कर्मियों से भरे जाने हेतु कर्णांकित कर शेष पदों को सीधी नियुक्ति/अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है।

निदेशानुसार

3.8.12

संयुक्त सचिव  
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।